न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 254/2019

उनवानी प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :–27.10.2020

1. सत्यनारायण पुत्र घीसा जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दयाल पुत्र छोगा जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भुवाना पुत्र छोगा जाति बैरवा निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. काना पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी खेड़ागांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. सकराम पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी खेड़ागांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. ग्राम पंचायत गांवड़ी पंचायत समिति देवली जिला टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या

अपील अन्तर्गत धारा 75 लण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 05.08.1983 ग्राम पंचायत गांवड़ी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के वारिसान व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. निम्न प्रकार से पेश है उपरोक्त उनवानी वाद में श्रीमान के द्वारा दिनांक 15.10.2018 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की अनुपस्थिति में उक्त अपील में एकतरफा बहस सुनकर अपीलान्ट के पक्ष में अपील का निस्तारण कर निर्णण सुना दिया गया। जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 की मृत्यु दिनांक 19.05.2018 को हो गई थी। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को भी थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के निम्न वारिसान है:– रंगलाल पुत्र, श्रवण पत्नि, सोहन

पुत्री, प्रेम पुत्री मृतक जिसके वारिस पुत्र नरेश व पुत्री गीता। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही माननीय न्यायालय में तथ्य छीपाकर एकतरफा निर्णय करवा लिया है जिसका कि अपीलान्ट को कोई कानूनी व वैधानिक अधिकारी प्राप्त नही था। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 को उक्त निर्णय की जानकारी न्यायालय तहसीलदार देवली द्वारा नोटिस क्रमांक 1775/न्याय/भू0अ0/16 दिनांक 11.06.19 का प्राप्त होने पर हुई है। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2019 को न्यायालय तहसीलदार के समक्ष उक्त अपील में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया। तब प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के उक्त वर्णित वारिसान एवं प्रार्थी/रेस्पोडेटन्ट नं. 2 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। तब प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के उक्त वर्णित वारिसान व रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने उक्त निर्णय की अविलम्ब माननीय न्यायालय से निर्णय व डिक्री की दिनांक 26.06.2019 को नकल प्राप्त की, तब ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति में उन्हें सुने बिना ही एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई है। उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार नकल दिनांक 26.06.2019 को प्राप्त करने पर हुई है। जिस पर बिना किसी विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया है। यदि फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विलम्ब होना माना जावे तो विलम्ब को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश है। उक्त उनवानी अपील का निर्णय दिनांक 15.10.2018 को निरस्त कर अपील में रेस्पोडेन्ट नं. 1 के वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त उनवानी अपील का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार व श्री रामनिवास तुनगारिया ने वकालतनाम पेश किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट 1 की मृत्यु दिनांक 19.05.18 को हो गई थी जिसकी सूचना अप्रार्थीगण ने न्यायालय को नही दी। जिसके कारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय कर दिया गया। प्रार्थना पत्र मियाद में पेश किया है फिर भी साथ मे धारा 5 मियाद अधिनियम शपथ पत्र अलग से पेश किया है। इसलिए विलम्ब को कन्डोन करे। नामान्तकरण निरस्त गलत हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण की तामिल दिनांक 14.11.17 को हो चुकी थी और दिनांक 15.11.17 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी थी। न्यायालय के निर्णय में नामान्तकरण निरस्त कर जांच कर पुनः नामान्तकरण हेतु रिमाण्ड किया है। यदि इस बाबत कोई आपति है तो तहसीलदार को अवगत करवा सकते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की मुख्य प्रार्थना यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु के बाद इसके विरूद्ध निर्णय जारी कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चकी थी जिसके कारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई कर एकपक्षीय निर्णय दिया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 542 निरस्त कर दिया गया और तहसीलदार देवली को यह निर्देश देते हुए प्रतिप्रेषित किया गया है कि सम्बन्धित पक्षकारो की जांच कर, सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वारिसान तहसीलदार देवली को अपनी आपति दर्ज करवा सकते है। की गई। अतः प्रार्थना पत्र कानूनी व व्यवहारिक तथ्यो से परे होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.12

उपखण्ड अधिकारी
देवली